



SANITATION WATER AND COMMUNITY HEALTH PROJECT

निदेशालय – स्वच्छ परियोजना, उदयपुर

बडी रोड (हवाला खुर्द) पुलिस अन्वेषण भवन के आगे, उदयपुर (राज.) 313001

Email: directorswach@rajasthan.gov.in, swachhoudaipur@gmail.com CONTACT NO. 9509869140



● खण्ड समन्वयक

No. of Post 5

1. आयु सीमा :- न्यूनतम 21 वर्ष अधिकतम 45 वर्ष
2. शैक्षणिक योग्यता :- भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय अथवा उसके अधीन महाविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण
3. मानदेय :- 20240 + EPF + ESI + 6500.00 TA नियमानुसार
4. विज्ञप्ति राज्य स्तरीय सर्वाधिक प्रसार होने वाले दो हिन्दी समाचार पत्रों में उनके स्थानीय संस्करण में प्रकाशित की जानी है।
5. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ पासपोर्ट साईज का फोटो (चस्पा कर) सहित सैकण्डरी, सीनियर सैकण्डरी के बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं अंकतालिकाएं तथा उच्च शिक्षा प्रमाण पत्र एवं अंकतालिकाओं तथा अन्य प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी होगी। मूल दस्तावेज मांगने पर मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। प्रस्तुत दस्तावेज असत्य पाये जाने की स्थिति में आवेदन स्वयं उत्तरदायी होगा एवं आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।
6. आयु के लिए सैकण्डरी के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि को आधार माना जावेगा।
7. निर्धारित तिथि तक प्राप्त सही आवेदनों में से अनुबंध के आधार पर खण्ड समन्वयक का चयन जिला स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा किया जावेगा। भर्ती संबंधी किसी भी तरह का विवाद होने पर अंतिम निर्णय निदेशक का मान्य होगा।
8. चयनित अभ्यर्थियों जो जिला स्तर पर निदेशक, परियोजना प्रबन्धक से विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में अनुबंध करना होगा जिसमें जिले के किसी भी पंचायत समिति में कार्य करने हेतु अनुबंध होगा। कार्मिक को सेवा के दौरान आवश्यकतानुसार जिले की किसी भी पंचायत समिति में लगाया जा सकता है।
9. संविदा नियोजन पूर्णतया अस्थाई है। संविदा कार्मिक की सेवाएं संतोषप्रद नहीं होने पर अथवा विभाग द्वारा अनुबंध की अवधि नहीं बढ़ाए जाने पर नियमानुसार संविदा से पृथक किया जा सकेगा।
10. राजस्थान में किसी भी योजना में अनियमितता/गबन/पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही के आरोपो में ब्लेक लिस्टेड/संविदा पृथक किये गये अभ्यर्थी, आवेदन के योग्य नहीं माने जायेंगे, चयनित अभ्यर्थी को अनुबंध के साथ इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
11. अभ्यर्थी का मानसिक व शारीरिक रूप से ग्रामीण क्षेत्र में भ्रमण करने हेतु स्वस्थ होना आवश्यक होगा (जिसके लिये किसी भी राजकीय चिकित्सक का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना है।)



SANITATION WATER AND COMMUNITY HEALTH PROJECT

निदेशालय – स्वच्छ परियोजना, उदयपुर

बडी रोड़ (हवाला खुर्द) पुलिस अन्वेषण भवन के आगे, उदयपुर (राज.) 313001

Email: directorswach@rajasthan.gov.in, swachhoudaipur@gmail.com CONTACT NO. 9509869140



12. चयन हेतु कुल 100 अंक निर्धारित है जो निम्नानुसार दिये जावेंगे :-

खण्ड समन्वयक के चयन का आधार

शैक्षणिक योग्यता (अधिकतम 40 अंक)	स्वच्छ परियोजना में कार्य का अनुभव (अधिकतम 40 अंक)	जिले के स्थानीय निवासी का (10 अंक)	साक्षात्कर (10 अंक)
भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय अथवा उसके अधीन महाविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण में प्राप्तांक का 40 प्रतिशत अंक	1. एक वर्ष पूर्ण होने पर अनुभव के – 4 अंक 2. दो वर्ष पूर्ण होने पर अनुभव के – 8 अंक 3. तीन वर्ष पूर्ण होने पर अनुभव के – 12 अंक 4. चार वर्ष पूर्ण होने पर अनुभव के – 16 अंक 5. पांच वर्ष पूर्ण होने पर अनुभव के – 20 अंक 6. छः वर्ष पूर्ण होने पर अनुभव के – 24 अंक 7. सात वर्ष पूर्ण होने पर अनुभव के – 28 अंक 8. आठ वर्ष पूर्ण होने पर अनुभव के – 32 अंक 9. नौ वर्ष पूर्ण होने पर अनुभव के – 36 अंक 10. दस वर्ष पूर्ण होने पर अनुभव के – 40 अंक	जिले के स्थानीय निवासी को 10 अंक	10 अंक इन्टरव्यू

13. परियोजना अधिकारी द्वारा जारी किया गया अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

14. अभ्यर्थी का चयन शैक्षणिक योग्यता में अर्जित अंको, कार्य अनुभव, जिले के स्थानीय निवासी एवं साक्षात्कर का आधार मानकर मेरिट के आधार पर चयन प्रक्रिया अपनायी जायेगी।



SANITATION WATER AND COMMUNITY HEALTH PROJECT

निदेशालय – स्वच्छ परियोजना, उदयपुर

बडी रोड (हवाला खुर्द) पुलिस अन्वेषण भवन के आगे, उदयपुर (राज.) 313001

Email: directorswach@rajasthan.gov.in, swachhoudaipur@gmail.com CONTACT NO. 9509869140



● सहायक परियोजना अधिकारी

No. of Post 6

1. आयु सीमा :- न्यूनतम 21 वर्ष अधिकतम 45 वर्ष
2. शैक्षणिक योग्यता :- भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय अथवा उसके अधीन महाविद्यालय से इंजीनियर डिग्री / किसी भी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री
3. मानदेय :- 35200 + EPF + ESI + TA नियमानुसार
4. विज्ञप्ति राज्य स्तरीय सर्वाधिक प्रसार होने वाले दो हिन्दी समाचार पत्रों में उनके स्थानीय संस्करण में प्रकाशित की जानी है।
5. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ पासपोर्ट साईज का फोटो (चस्पा कर) सहित सैकण्डरी, सीनियर सैकण्डरी के बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं अंकतालिकाएं तथा उच्च शिक्षा प्रमाण पत्र एवं अंकतालिकाओं तथा अन्य प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी होगी। मूल दस्तावेज मांगने पर मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। प्रस्तुत दस्तावेज असत्य पाये जाने की स्थिति में आवेदन स्वयं उत्तरदायी होगा एवं आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।
6. आयु के लिए सैकण्डरी के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि को आधार माना जावेगा।
7. निर्धारित तिथि तक प्राप्त सही आवेदनों में से अनुबंध के आधार पर सहायक परियोजना अधिकारी का चयन जिला स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा किया जावेगा। भर्ती संबंधी किसी भी तरह का विवाद होने पर अंतिम निर्णय निदेशक का मान्य होगा।
8. चयनित अभ्यर्थियों जो जिला स्तर पर निदेशक, परियोजना प्रबन्धक से विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में अनुबन्ध करना होगा जिसमें जिले के किसी भी पंचायत समिति में कार्य करने हेतु अनुबंध होगा। कार्मिक को सेवा के दौरान आवश्यकतानुसार जिले की किसी भी पंचायत समिति में लगाया जा सकता है।
9. संविदा नियोजन पूर्णतया अस्थाई है। संविदा कार्मिक की सेवाएं संतोषप्रद नहीं होने पर अथवा विभाग द्वारा अनुबंध की अवधि नहीं बढ़ाए जाने पर नियमानुसार संविदा से पृथक किया जा सकेगा।
10. राजस्थान में किसी भी योजना में अनियमितता/गबन/पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही के आरोपो में ब्लेक लिस्टेड/संविदा पृथक किये गये अभ्यर्थी, आवेदन के योग्य नहीं माने जायेंगे, चयनित अभ्यर्थी को अनुबंध के साथ इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
11. अभ्यर्थी का मानसिक व शारीरिक रूप से ग्रामीण क्षेत्र में भ्रमण करने हेतु स्वस्थ होना आवश्यक होगा (जिसके लिये किसी भी राजकीय चिकित्सक का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना है।)



SANITATION WATER AND COMMUNITY HEALTH PROJECT

निदेशालय – स्वच्छ परियोजना, उदयपुर

बडी रोड़ (हवाला खुर्द) पुलिस अन्वेषण भवन के आगे, उदयपुर (राज.) 313001

Email: directorswach@rajasthan.gov.in, swachhoudaipur@gmail.com CONTACT NO. 9509869140



12. चयन हेतु कुल 100 अंक निर्धारित है जो निम्नानुसार दिये जावेंगे :-

सहायक परियोजना अधिकारी के चयन का आधार

शैक्षणिक योग्यता (अधिकतम 40 अंक)	स्वच्छ परियोजना में कार्य का अनुभव (अधिकतम 40 अंक)	जिले के स्थानीय निवासी का (10 अंक)	साक्षात्कर (10 अंक)
भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय अथवा उसके अधीन महाविद्यालय से इंजीनियर डिग्री/ किसी भी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री में प्राप्तांक का 40 प्रतिशत अंक	1. एक वर्ष पूर्ण होने पर अनुभव के – 4 अंक 2. दो वर्ष पूर्ण होने पर अनुभव के – 8 अंक 3. तीन वर्ष पूर्ण होने पर अनुभव के – 12 अंक 4. चार वर्ष पूर्ण होने पर अनुभव के – 16 अंक 5. पांच वर्ष पूर्ण होने पर अनुभव के – 20 अंक 6. छः वर्ष पूर्ण होने पर अनुभव के – 24 अंक 7. सात वर्ष पूर्ण होने पर अनुभव के – 28 अंक 8. आठ वर्ष पूर्ण होने पर अनुभव के – 32 अंक 9. नौ वर्ष पूर्ण होने पर अनुभव के – 36 अंक 10. दस वर्ष पूर्ण होने पर अनुभव के – 40 अंक	जिले के स्थानीय निवासी को 10 अंक	10 अंक इन्टरव्यू

13. निदेशक/परियोजना प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी द्वारा जारी किया गया अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

14. अभ्यर्थी का चयन शैक्षणिक योग्यता में अर्जित अंको, कार्य अनुभव, जिले के स्थानीय निवासी एवं साक्षात्कर का आधार मानकर मेरिट के आधार पर चयन प्रक्रिया अपनायी जायेगी।



SANITATION WATER AND COMMUNITY HEALTH PROJECT

निदेशालय – स्वच्छ परियोजना, उदयपुर

बडी रोड (हवाला खुर्द) पुलिस अन्वेषण भवन के आगे, उदयपुर (राज.) 313001

Email: directorswach@rajasthan.gov.in, swachhoudaipur@gmail.com CONTACT NO. 9509869140



● कनिष्ठ लेखाकार

No. of Post 5

1. आयु सीमा :- न्यूनतम 21 वर्ष अधिकतम 45 वर्ष
2. शैक्षणिक योग्यता :- भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय अथवा उसके अधीन महाविद्यालय से वाणिज्य विषय में स्नातक डिग्री एवं आर.एस.सी.आई.टी. प्रमाण पत्र
3. मानदेय :- 16940 + EPF + ESI नियमानुसार
4. विज्ञप्ति राज्य स्तरीय सर्वाधिक प्रसार होने वाले दो हिन्दी समाचार पत्रों में उनके स्थानीय संस्करण में प्रकाशित की जानी है।
5. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ पासपोर्ट साईज का फोटो (चस्पा कर) सहित सैकण्डरी, सीनियर सैकण्डरी के बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं अंकतालिकाएं तथा उच्च शिक्षा प्रमाण पत्र एवं अंकतालिकाओं तथा अन्य प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी होगी। मूल दस्तावेज मांगने पर मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। प्रस्तुत दस्तावेज असत्य पाये जाने की स्थिति में आवेदन स्वयं उत्तरदायी होगा एवं आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।
6. आयु के लिए सैकण्डरी के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि को आधार माना जावेगा।
7. निर्धारित तिथि तक प्राप्त सही आवेदनों में से अनुबंध के आधार पर कनिष्ठ लेखाकार का चयन जिला स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा किया जावेगा। भर्ती संबंधी किसी भी तरह का विवाद होने पर अंतिम निर्णय निदेशक का मान्य होगा।
8. चयनित अभ्यर्थियों जो जिला स्तर पर निदेशक, परियोजना प्रबन्धक से विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में अनुबन्ध करना होगा जिसमें जिले के किसी भी पंचायत समिति में कार्य करने हेतु अनुबंध होगा। कार्मिक को सेवा के दौरान आवश्यकतानुसार जिले की किसी भी पंचायत समिति में लगाया जा सकता है।
9. संविदा नियोजन पूर्णतया अस्थाई है। संविदा कार्मिक की सेवाएं संतोषप्रद नहीं होने पर अथवा विभाग द्वारा अनुबंध की अवधि नहीं बढ़ाए जाने पर नियमानुसार संविदा से पृथक किया जा सकेगा।
10. राजस्थान में किसी भी योजना में अनियमितता/गबन/पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही के आरोपो में ब्लेक लिस्टेड/संविदा पृथक किये गये अभ्यर्थी, आवेदन के योग्य नहीं माने जायेंगे, चयनित अभ्यर्थी को अनुबंध के साथ इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
11. अभ्यर्थी का मानसिक व शारीरिक रूप से ग्रामीण क्षेत्र में भ्रमण करने हेतु स्वस्थ होना आवश्यक होगा (जिसके लिये किसी भी राजकीय चिकित्सक का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना है।)



SANITATION WATER AND COMMUNITY HEALTH PROJECT

निदेशालय – स्वच्छ परियोजना, उदयपुर

बडी रोड़ (हवाला खुर्द) पुलिस अन्वेषण भवन के आगे, उदयपुर (राज.) 313001

Email: directorswach@rajasthan.gov.in, swachhoudaipur@gmail.com CONTACT NO. 9509869140



12. चयन हेतु कुल 100 अंक निर्धारित है जो निम्नानुसार दिये जावेंगे :-

कनिष्ठ लेखाकार के चयन का आधार

शैक्षणिक योग्यता (अधिकतम 40 अंक)	स्वच्छ परियोजना में कार्य का अनुभव (अधिकतम 40 अंक)	जिले के स्थानीय निवासी का (10 अंक)	साक्षात्कर (10 अंक)
भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय अथवा उसके अधीन महाविद्यालय से किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य विषय में स्नातक डिग्री एवं आर.एस.सी.आई.टी. प्रमाण पत्र में प्राप्तांक का 40 प्रतिशत अंक	1. एक वर्ष पूर्ण होने पर अनुभव के – 4 अंक 2. दो वर्ष पूर्ण होने पर अनुभव के – 8 अंक 3. तीन वर्ष पूर्ण होने पर अनुभव के – 12 अंक 4. चार वर्ष पूर्ण होने पर अनुभव के – 16 अंक 5. पांच वर्ष पूर्ण होने पर अनुभव के – 20 अंक 6. छः वर्ष पूर्ण होने पर अनुभव के – 24 अंक 7. सात वर्ष पूर्ण होने पर अनुभव के – 28 अंक 8. आठ वर्ष पूर्ण होने पर अनुभव के – 32 अंक 9. नौ वर्ष पूर्ण होने पर अनुभव के – 36 अंक 10. दस वर्ष पूर्ण होने पर अनुभव के – 40 अंक	जिले के स्थानीय निवासी को 10 अंक	10 अंक इन्टरव्यू

13. निदेशक/परियोजना प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी द्वारा जारी किया गया अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

14. अभ्यर्थी का चयन शैक्षणिक योग्यता में अर्जित अंको, कार्य अनुभव, जिले के स्थानीय निवासी एवं साक्षात्कर का आधार मानकर मेरिट के आधार पर चयन प्रक्रिया अपनायी जायेगी।



SANITATION WATER AND COMMUNITY HEALTH PROJECT

निदेशालय – स्वच्छ परियोजना, उदयपुर

बडी रोड (हवाला खुर्द) पुलिस अन्वेषण भवन के आगे, उदयपुर (राज.) 313001

Email: directorswach@rajasthan.gov.in, swachhoudaipur@gmail.com CONTACT NO. 9509869140



● कनिष्ठ लिपिक

No. of Post 7

1. आयु सीमा :- न्यूनतम 21 वर्ष अधिकतम 45 वर्ष
2. शैक्षणिक योग्यता :- भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय अथवा उसके अधीन महाविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण एवं आर.एस.सी.आई.टी. प्रमाण पत्र
3. मानदेय :- 14960 + EPF + ESI नियमानुसार
4. विज्ञप्ति राज्य स्तरीय सर्वाधिक प्रसार होने वाले दो हिन्दी समाचार पत्रों में उनके स्थानीय संस्करण में प्रकाशित की जानी है।
5. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ पासपोर्ट साईज का फोटो (चस्पा कर) सहित सैकण्डरी, सीनियर सैकण्डरी के बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं अंकतालिकाएं तथा उच्च शिक्षा प्रमाण पत्र एवं अंकतालिकाओं तथा अन्य प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी होगी। मूल दस्तावेज मांगने पर मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। प्रस्तुत दस्तावेज असत्य पाये जाने की स्थिति में आवेदन स्वयं उत्तरदायी होगा एवं आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।
6. आयु के लिए सैकण्डरी के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि को आधार माना जावेगा।
7. निर्धारित तिथि तक प्राप्त सही आवेदनों में से अनुबंध के आधार पर कनिष्ठ लिपिक का चयन जिला स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा किया जावेगा। भर्ती संबंधी किसी भी तरह का विवाद होने पर अंतिम निर्णय निदेशक का मान्य होगा।
8. चयनित अभ्यर्थियों जो जिला स्तर पर निदेशक, परियोजना प्रबन्धक से विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में अनुबंध करना होगा जिसमें जिले के किसी भी पंचायत समिति में कार्य करने हेतु अनुबंध होगा। कार्मिक को सेवा के दौरान आवश्यकतानुसार जिले की किसी भी पंचायत समिति में लगाया जा सकता है।
9. संविदा नियोजन पूर्णतया अस्थाई है। संविदा कार्मिक की सेवाएं संतोषप्रद नहीं होने पर अथवा विभाग द्वारा अनुबंध की अवधि नहीं बढ़ाए जाने पर नियमानुसार संविदा से पृथक किया जा सकेगा।
10. राजस्थान में किसी भी योजना में अनियमितता/गबन/पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही के आरोपो में ब्लेक लिस्टेड/संविदा पृथक किये गये अभ्यर्थी, आवेदन के योग्य नहीं माने जायेंगे, चयनित अभ्यर्थी को अनुबंध के साथ इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
11. अभ्यर्थी का मानसिक व शारीरिक रूप से ग्रामीण क्षेत्र में भ्रमण करने हेतु स्वस्थ होना आवश्यक होगा (जिसके लिये किसी भी राजकीय चिकित्सक का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना है।)



SANITATION WATER AND COMMUNITY HEALTH PROJECT

निदेशालय – स्वच्छ परियोजना, उदयपुर

बडी रोड़ (हवाला खुर्द) पुलिस अन्वेषण भवन के आगे, उदयपुर (राज.) 313001

Email: directorswach@rajasthan.gov.in, swachhoudaipur@gmail.com CONTACT NO. 9509869140



12. चयन हेतु कुल 100 अंक निर्धारित है जो निम्नानुसार दिये जावेंगे :-

कनिष्ठ लिपिक के चयन का आधार

शैक्षणिक योग्यता (अधिकतम 40 अंक)	स्वच्छ परियोजना में कार्य का अनुभव (अधिकतम 40 अंक)	जिले के स्थानीय निवासी का (10 अंक)	साक्षात्कर (10 अंक)
भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय अथवा उसके अधीन महाविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण एवं आर.एस.सी.आई.टी. प्रमाण पत्र में प्राप्तांक का 40 प्रतिशत अंक	1. एक वर्ष पूर्ण होने पर अनुभव के – 4 अंक 2. दो वर्ष पूर्ण होने पर अनुभव के – 8 अंक 3. तीन वर्ष पूर्ण होने पर अनुभव के – 12 अंक 4. चार वर्ष पूर्ण होने पर अनुभव के – 16 अंक 5. पांच वर्ष पूर्ण होने पर अनुभव के – 20 अंक 6. छः वर्ष पूर्ण होने पर अनुभव के – 24 अंक 7. सात वर्ष पूर्ण होने पर अनुभव के – 28 अंक 8. आठ वर्ष पूर्ण होने पर अनुभव के – 32 अंक 9. नौ वर्ष पूर्ण होने पर अनुभव के – 36 अंक 10. दस वर्ष पूर्ण होने पर अनुभव के – 40 अंक	जिले के स्थानीय निवासी को 10 अंक	10 अंक इन्टरव्यू

13. निदेशक/परियोजना प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी द्वारा जारी किया गया अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

14. अभ्यर्थी का चयन शैक्षणिक योग्यता में अर्जित अंको, कार्य अनुभव, जिले के स्थानीय निवासी एवं साक्षात्कर का आधार मानकर मेरिट के आधार पर चयन प्रक्रिया अपनायी जायेगी।



SANITATION WATER AND COMMUNITY HEALTH PROJECT

निदेशालय – स्वच्छ परियोजना, उदयपुर

बडी रोड (हवाला खुर्द) पुलिस अन्वेषण भवन के आगे, उदयपुर (राज.) 313001

Email: directorswach@rajasthan.gov.in, swachhoudaipur@gmail.com CONTACT NO. 9509869140



● कम्प्यूटर ऑपरेटर

No. of Post 7

1. आयु सीमा :- न्यूनतम 21 वर्ष अधिकतम 45 वर्ष
2. शैक्षणिक योग्यता :- भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय अथवा उसके अधीन महाविद्यालय से कम्प्यूटर इंजीनियर डिग्री / एम.सी.ए. / बी.सी.ए. / पी.जी.डी.सी.ए.
3. मानदेय :- 16940 + EPF + ESI नियमानुसार
4. विज्ञप्ति राज्य स्तरीय सर्वाधिक प्रसार होने वाले दो हिन्दी समाचार पत्रों में उनके स्थानीय संस्करण में प्रकाशित की जानी है।
5. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ पासपोर्ट साईज का फोटो (चस्पा कर) सहित सैकण्डरी, सीनियर सैकण्डरी के बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं अंकतालिकाएं तथा उच्च शिक्षा प्रमाण पत्र एवं अंकतालिकाओं तथा अन्य प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी होगी। मूल दस्तावेज मांगने पर मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। प्रस्तुत दस्तावेज असत्य पाये जाने की स्थिति में आवेदन स्वयं उत्तरदायी होगा एवं आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।
6. आयु के लिए सैकण्डरी के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि को आधार माना जावेगा।
7. निर्धारित तिथि तक प्राप्त सही आवेदनों में से अनुबंध के आधार पर कम्प्यूटर ऑपरेटर का चयन जिला स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा किया जावेगा। भर्ती संबंधी किसी भी तरह का विवाद होने पर अंतिम निर्णय निदेशक का मान्य होगा।
8. चयनित अभ्यर्थियों जो जिला स्तर पर निदेशक, परियोजना प्रबन्धक से विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में अनुबंध करना होगा जिसमें जिले के किसी भी पंचायत समिति में कार्य करने हेतु अनुबंध होगा। कार्मिक को सेवा के दौरान आवश्यकतानुसार जिले की किसी भी पंचायत समिति में लगाया जा सकता है।
9. संविदा नियोजन पूर्णतया अस्थाई है। संविदा कार्मिक की सेवाएं संतोषप्रद नहीं होने पर अथवा विभाग द्वारा अनुबंध की अवधि नहीं बढ़ाए जाने पर नियमानुसार संविदा से पृथक किया जा सकेगा।
10. राजस्थान में किसी भी योजना में अनियमितता/गबन/पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही के आरोपो में ब्लेक लिस्टेड/संविदा पृथक किये गये अभ्यर्थी, आवेदन के योग्य नहीं माने जायेंगे, चयनित अभ्यर्थी को अनुबंध के साथ इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
11. अभ्यर्थी का मानसिक व शारीरिक रूप से ग्रामीण क्षेत्र में भ्रमण करने हेतु स्वस्थ होना आवश्यक होगा (जिसके लिये किसी भी राजकीय चिकित्सक का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना है।)



SANITATION WATER AND COMMUNITY HEALTH PROJECT

निदेशालय – स्वच्छ परियोजना, उदयपुर

बडी रोड़ (हवाला खुर्द) पुलिस अन्वेषण भवन के आगे, उदयपुर (राज.) 313001

Email: directorswach@rajasthan.gov.in, swachhoudaipur@gmail.com CONTACT NO. 9509869140



12. चयन हेतु कुल 100 अंक निर्धारित है जो निम्नानुसार दिये जावेंगे :-

कम्प्यूटर ऑपरेटर के चयन का आधार

शैक्षणिक योग्यता (अधिकतम 40 अंक)	स्वच्छ परियोजना में कार्य का अनुभव (अधिकतम 40 अंक)	जिले के स्थानीय निवासी का (10 अंक)	साक्षात्कर (10 अंक)
भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय अथवा उसके अधीन महाविद्यालय से कम्प्यूटर इंजीनियर डिग्री / एम.सी.ए. / बी. सी.ए. / पी.जी.डी.सी.ए. में प्राप्तांक का 40 प्रतिशत अंक	1. एक वर्ष पूर्ण होने पर अनुभव के – 4 अंक 2. दो वर्ष पूर्ण होने पर अनुभव के – 8 अंक 3. तीन वर्ष पूर्ण होने पर अनुभव के – 12 अंक 4. चार वर्ष पूर्ण होने पर अनुभव के – 16 अंक 5. पांच वर्ष पूर्ण होने पर अनुभव के – 20 अंक 6. छः वर्ष पूर्ण होने पर अनुभव के – 24 अंक 7. सात वर्ष पूर्ण होने पर अनुभव के – 28 अंक 8. आठ वर्ष पूर्ण होने पर अनुभव के – 32 अंक 9. नौ वर्ष पूर्ण होने पर अनुभव के – 36 अंक 10. दस वर्ष पूर्ण होने पर अनुभव के – 40 अंक	जिले के स्थानीय निवासी को 10 अंक	10 अंक इन्टरव्यू

13. निदेशक/परियोजना प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी द्वारा जारी किया गया अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

14. अभ्यर्थी का चयन शैक्षणिक योग्यता में अर्जित अंको, कार्य अनुभव, जिले के स्थानीय निवासी एवं साक्षात्कर का आधार मानकर मेरिट के आधार पर चयन प्रक्रिया अपनायी जायेगी।



SANITATION WATER AND COMMUNITY HEALTH PROJECT

निदेशालय – स्वच्छ परियोजना, उदयपुर

बडी रोड (हवाला खुर्द) पुलिस अन्वेषण भवन के आगे, उदयपुर (राज.) 313001

Email: directorswach@rajasthan.gov.in, swachhoudaipur@gmail.com CONTACT NO. 9509869140



● चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

No. of Post 3

1. आयु सीमा :- न्यूनतम 21 वर्ष अधिकतम 45 वर्ष
2. शैक्षणिक योग्यता :- साक्षर
3. मानदेय :- 9900 + EPF + ESI नियमानुसार
4. विज्ञप्ति राज्य स्तरीय सर्वाधिक प्रसार होने वाले दो हिन्दी समाचार पत्रों में उनके स्थानीय संस्करण में प्रकाशित की जानी है।
5. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ पासपोर्ट साईज का फोटो (चस्पा कर) सहित सैकण्डरी, सीनियर सैकण्डरी के बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं अंकतालिकाएं तथा उच्च शिक्षा प्रमाण पत्र एवं अंकतालिकाओं तथा अन्य प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी होगी। मूल दस्तावेज मांगने पर मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। प्रस्तुत दस्तावेज असत्य पाये जाने की स्थिति में आवेदन स्वयं उत्तरदायी होगा एवं आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।
6. आयु के लिए सैकण्डरी के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि को आधार माना जावेगा।
7. निर्धारित तिथि तक प्राप्त सही आवेदनों में से अनुबंध के आधार पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का चयन जिला स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा किया जावेगा। भर्ती संबंधी किसी भी तरह का विवाद होने पर अंतिम निर्णय निदेशक का मान्य होगा।
8. चयनित अभ्यर्थियों जो जिला स्तर पर निदेशक, परियोजना प्रबन्धक से विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में अनुबंध करना होगा जिसमें जिले के किसी भी पंचायत समिति में कार्य करने हेतु अनुबंध होगा। कार्मिक को सेवा के दौरान आवश्यकतानुसार जिले की किसी भी पंचायत समिति में लगाया जा सकता है।
9. संविदा नियोजन पूर्णतया अस्थाई है। संविदा कार्मिक की सेवाएं संतोषप्रद नही होने पर अथवा विभाग द्वारा अनुबंध की अवधि नही बढ़ाए जाने पर नियमानुसार संविदा से पृथक किया जा सकेगा।
10. राजस्थान में किसी भी योजना में अनियमितता/गबन/पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही के आरोपो में ब्लेक लिस्टेड/संविदा पृथक किये गये अभ्यर्थी, आवेदन के योग्य नही माने जायेंगे, चयनित अभ्यर्थी को अनुबंध के साथ इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
11. अभ्यर्थी का मानसिक व शारीरिक रूप से ग्रामीण क्षेत्र में भ्रमण करने हेतु स्वस्थ होना आवश्यक होगा (जिसके लिये किसी भी राजकीय चिकित्सक का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना है।)



SANITATION WATER AND COMMUNITY HEALTH PROJECT

निदेशालय – स्वच्छ परियोजना, उदयपुर

बडी रोड़ (हवाला खुर्द) पुलिस अन्वेषण भवन के आगे, उदयपुर (राज.) 313001

Email: directorswach@rajasthan.gov.in, swachhoudaipur@gmail.com CONTACT NO. 9509869140



12. चयन हेतु कुल 100 अंक निर्धारित है जो निम्नानुसार दिये जावेंगे :-

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के चयन का आधार

शैक्षणिक योग्यता (अधिकतम 40 अंक)	स्वच्छ परियोजना में कार्य का अनुभव (अधिकतम 40 अंक)	जिले के स्थानीय निवासी का (10 अंक)	साक्षात्कर (10 अंक)
साक्षर	1. एक वर्ष पूर्ण होने पर अनुभव के – 4 अंक 2. दो वर्ष पूर्ण होने पर अनुभव के – 8 अंक 3. तीन वर्ष पूर्ण होने पर अनुभव के – 12 अंक 4. चार वर्ष पूर्ण होने पर अनुभव के – 16 अंक 5. पांच वर्ष पूर्ण होने पर अनुभव के – 20 अंक 6. छः वर्ष पूर्ण होने पर अनुभव के – 24 अंक 7. सात वर्ष पूर्ण होने पर अनुभव के – 28 अंक 8. आठ वर्ष पूर्ण होने पर अनुभव के – 32 अंक 9. नौ वर्ष पूर्ण होने पर अनुभव के – 36 अंक 10. दस वर्ष पूर्ण होने पर अनुभव के – 40 अंक	जिले के स्थानीय निवासी को 10 अंक	10 अंक इन्टरव्यू

13. निदेशक/परियोजना प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी द्वारा जारी किया गया अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

14. अभ्यर्थी का चयन शैक्षणिक योग्यता में अर्जित अंको, कार्य अनुभव, जिले के स्थानीय निवासी एवं साक्षात्कर का आधार मानकर मेरिट के आधार पर चयन प्रक्रिया अपनायी जायेगी।



SANITATION WATER AND COMMUNITY HEALTH PROJECT

निदेशालय – स्वच्छ परियोजना, उदयपुर

बडी रोड (हवाला खुर्द) पुलिस अन्वेषण भवन के आगे, उदयपुर (राज.) 313001

Email: directorswach@rajasthan.gov.in, swachhoudaipur@gmail.com CONTACT NO. 9509869140



● वाहन चालक

No. of Post 4

1. आयु सीमा :- न्यूनतम 21 वर्ष अधिकतम 45 वर्ष
2. शैक्षणिक योग्यता :- साक्षर
3. मानदेय :- 14410 + EPF + ESI नियमानुसार
4. विज्ञप्ति राज्य स्तरीय सर्वाधिक प्रसार होने वाले दो हिन्दी समाचार पत्रों में उनके स्थानीय संस्करण में प्रकाशित की जानी है।
5. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ पासपोर्ट साईज का फोटो (चस्पा कर) सहित सैकण्डरी, सीनियर सैकण्डरी के बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं अंकतालिकाएं तथा उच्च शिक्षा प्रमाण पत्र एवं अंकतालिकाओं तथा अन्य प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी होगी। मूल दस्तावेज मांगने पर मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। प्रस्तुत दस्तावेज असत्य पाये जाने की स्थिति में आवेदन स्वयं उत्तरदायी होगा एवं आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।
6. आयु के लिए सैकण्डरी के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि को आधार माना जावेगा।
7. निर्धारित तिथि तक प्राप्त सही आवेदनों में से अनुबंध के आधार पर वाहन चालक का चयन जिला स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा किया जावेगा। भर्ती संबंधी किसी भी तरह का विवाद होने पर अंतिम निर्णय निदेशक का मान्य होगा।
8. चयनित अभ्यर्थियों जो जिला स्तर पर निदेशक, परियोजना प्रबन्धक से विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में अनुबंध करना होगा जिसमें जिले के किसी भी पंचायत समिति में कार्य करने हेतु अनुबंध होगा। कार्मिक को सेवा के दौरान आवश्यकतानुसार जिले की किसी भी पंचायत समिति में लगाया जा सकता है।
9. संविदा नियोजन पूर्णतया अस्थाई है। संविदा कार्मिक की सेवाएं संतोषप्रद नहीं होने पर अथवा विभाग द्वारा अनुबंध की अवधि नहीं बढ़ाए जाने पर नियमानुसार संविदा से पृथक किया जा सकेगा।
10. राजस्थान में किसी भी योजना में अनियमितता/गबन/पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही के आरोपो में ब्लेक लिस्टेड/संविदा पृथक किये गये अभ्यर्थी, आवेदन के योग्य नहीं माने जायेंगे, चयनित अभ्यर्थी को अनुबंध के साथ इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
11. अभ्यर्थी का मानसिक व शारीरिक रूप से ग्रामीण क्षेत्र में भ्रमण करने हेतु स्वस्थ होना आवश्यक होगा (जिसके लिये किसी भी राजकीय चिकित्सक का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना है।)



SANITATION WATER AND COMMUNITY HEALTH PROJECT

निदेशालय – स्वच्छ परियोजना, उदयपुर

बडी रोड (हवाला खुर्द) पुलिस अन्वेषण भवन के आगे, उदयपुर (राज.) 313001

Email: directorswach@rajasthan.gov.in, swachhoudaipur@gmail.com CONTACT NO. 9509869140



12. चयन हेतु कुल 100 अंक निर्धारित है जो निम्नानुसार दिये जावेंगे :-

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के चयन का आधार

शैक्षणिक योग्यता (अधिकतम 40 अंक)	स्वच्छ परियोजना में कार्य का अनुभव (अधिकतम 40 अंक)	जिले के स्थानीय निवासी का (10 अंक)	साक्षात्कर (10 अंक)
साक्षर	1. एक वर्ष पूर्ण होने पर अनुभव के – 4 अंक 2. दो वर्ष पूर्ण होने पर अनुभव के – 8 अंक 3. तीन वर्ष पूर्ण होने पर अनुभव के – 12 अंक 4. चार वर्ष पूर्ण होने पर अनुभव के – 16 अंक 5. पांच वर्ष पूर्ण होने पर अनुभव के – 20 अंक 6. छः वर्ष पूर्ण होने पर अनुभव के – 24 अंक 7. सात वर्ष पूर्ण होने पर अनुभव के – 28 अंक 8. आठ वर्ष पूर्ण होने पर अनुभव के – 32 अंक 9. नौ वर्ष पूर्ण होने पर अनुभव के – 36 अंक 10. दस वर्ष पूर्ण होने पर अनुभव के – 40 अंक	जिले के स्थानीय निवासी को 10 अंक	10 अंक इन्टरव्यू

13. निदेशक/परियोजना प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी द्वारा जारी किया गया अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

14. अभ्यर्थी का चयन शैक्षणिक योग्यता में अर्जित अंको, कार्य अनुभव, जिले के स्थानीय निवासी एवं साक्षात्कर का आधार मानकर मेरिट के आधार पर चयन प्रक्रिया अपनायी जायेगी।